



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना हीमपुर दीपा

दिनांक 12.04.2024

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 44 / 24 धारा 147 / 148 / 452 / 307 / 323 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.04.2024 को वादी श्री फैजान पुत्र इरफानुद्दीन नि0 मौ0 पतियापाडा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.इमरान 2.अनस 3. मेहरबान 4.नौमान पुत्रगण रिजवानुद्दीन 5.सलीम पुत्र फखरुद्दीन 6.रिजवानुद्दीन पुत्र मुस्तजाबुद्दीन नि0गण ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर व 03 अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के परिजनों के साथ जान से मारने की नियत से लाठी डण्डो व धारदार हथियार से हमला किया जिससे उन्हे काफी चोंटे आयी। तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 44 / 24 धारा 147 / 148 / 452 / 307 / 323 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.04.2024 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 44 / 24 धारा 147 / 148 / 452 / 307 / 323 भादवि में वांछित अभियुक्त मेहरबान पुत्र रिजवानुद्दीन नि0 ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.मेहरबान पुत्र रिजवानुद्दीन नि0 ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री शेर सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

2- हे0का0 356 प्रकाशवीर सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

3- का0 2344 कुश कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना नजीबाबाद

दिनांक 12.04.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.04.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रशान्त उर्फ जून्नु पुत्र काले जोशी निवासी ग्राम सिकन्दरपुर बसी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 185/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. प्रशान्त उर्फ जून्नु पुत्र काले जोशी निवासी ग्राम सिकन्दरपुर बसी थाना नजीबाबाद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

1- एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री रामवीर कुमार शर्मा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2- हे0का0 454 विकास त्यागी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3- का0 66 विवेक कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 12.04.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 311/24 धारा 147/148/149/452/323/504/506/
352/307 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.04.2024 को वादी श्री इस्लामुद्दीन पुत्र श्री अब्दुल अजीज निवासी ग्राम अमीपुर सुधा उर्फ जन्दरपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 10.04.2024 को वादी के भतीजे नदीम व फैजान के बीच स्टेटस पर वीडियो अपलोड करने को लेकर कहासुनी व गाली – गलौच हो गयी । इसके बाद अभियुक्तगण 1.फैजान पुत्र नामालूम 2.नाजिम 3.नईम पुत्रगण सत्तार 4.सत्तार पुत्र शादी 5.सलमान 6.सादिक पुत्रगण शकील 7.शकील पुत्र अल्लाबख्श 8.इरशाद



9.नौशाद 10.इसरार पुत्रगण छोटे 11.दानिश पुत्र अफजाल 12.नईम पुत्र इकबाल 13.वसीम पुत्र अब्दुल रसीद निवासीगण ग्राम अमीपुर सुधा उर्फ जन्दरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर द्वारा वादी व वादी के परिवार के अन्य लोगों के ऊपर घर में घुसकर जान से मारने की नियत से हमला किया गया, जिससे वादी के परिवार के कई लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 311/2024 धारा 147/148/149/452/323/504/506/352/307 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 311/2024 धारा 147/148/149/452/323/504/506/352/307 भादवि में वांछित अभियुक्त सत्तार पुत्र शादी निवासी ग्राम जन्दरपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सत्तार पुत्र शादी निवासी ग्राम जन्दरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री प्रशान्त कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 608 सुनील कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 54 संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 12.04.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम में वांछित हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्तगण 1- शानू पुत्र बल्लू उर्फ बल्लन उर्फ मंसूर निवासी मौहल्ला जन्नत कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर (हिस्ट्रीशीटर) 2- गुलफाम उर्फ बल्लू पुत्र खलील निवासी मौहल्ला मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर (हिस्ट्रीशीटर) के विरुद्ध आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से चोरी जैसे समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त रहने पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 304/2024 धारा 2(b)(1)/3(1) गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत कराया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.04.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 304/2024 धारा 2(b)(1)/3(1) गैंगस्टर अधिनियम में वांछित अभियुक्त गुलफाम उर्फ बल्लू पुत्र खलील निवासी मौ0 मिर्दगान कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. गुलफाम उर्फ बल्लू पुत्र खलील निवासी मौ0 मिर्दगान कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त गुलफाम (हिस्ट्रीशीट संख्या – 225ए) का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 19/2023 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

2. मु0अ0सं0 811/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

3. मु0अ0सं0 816/2023 धारा 420/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

4. मु0अ0सं0 304/2024 धारा 2(b)(1)/3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. व0उ0नि0 मृदुल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

2. आरक्षी 632 सर्वेश कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट:- थाना रेहड

दिनांक- 12.04.2024

थाना रेहड पुलिस ने अभियुक्त को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रेहड पुलिस द्वारा अभियुक्त खेम सिंह पुत्र भूरे सिंह नि० ग्राम मच्छमार थाना रेहड जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना रेहड पर मु०अ०सं० 54/24 धारा 60(1) आबकारी अधि० बनाम अभियुक्त खेम सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

खेम सिंह पुत्र भूरे सिंह नि० ग्राम मच्छमार थाना रेहड जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० प्रवीण कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर
2. आरक्षी 285 प्रदीप कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर
3. आरक्षी 275 अम्बुल पवारं रेहड जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नजीबाबाद

दिनांक 12.04.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.04.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों 1. मौ० जावेद पुत्र अफसर नि० मौ० फैजनगर कॉलोनी कस्बा व थाना नजीबाबाद बिजनौर 2. रामगोपाल पुत्र गोपी नि० ग्राम अकबरपुर चौगांवा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मौ० जावेद पुत्र अफसर नि० मौ० फैजनगर कॉलोनी कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. रामगोपाल पुत्र गोपी नि० ग्राम अकबरपुर चौगांवा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० नरेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. उ०नि० मौ० कय्यूम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. का० 2441 अजयपाल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4. का० 1223 रजत राठी विपिन कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शेरकोट

दिनांक – 12.04.2024

थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 81/24 धारा 354/506 भादवि व 9m/10 पॉक्सो अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.04.2024 को थाना शेरकोट निवासी वादी द्वारा थाना शेरकोट पर अभियुक्त सुरेश पुत्र चिरंजीलाल निवासी मौ0 शेखान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर के विरुद्ध वादी की नाबालिग बेटी के साथ छेडछाड करने के संबंध में मु0अ0सं0 81/24 धारा 354/506 भादवि व 9m/10 पॉक्सो अधिनियम बनाम सुरेश उपरोक्त पंजीकृत कराया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.04.2024 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 81/24 धारा 354/506 भादवि व 9m/10 पॉक्सो अधिनियम से संबंधित अभियुक्त सुरेश पुत्र चिरंजीलाल निवासी मौहल्ला शेखान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. सुरेश पुत्र चिरंजीलाल निवासी मौ0 शेखान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 जगपाल सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
2. म0उ0नि0 अल्पना थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
3. आरक्षी विक्रम सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
4. म0आरक्षी कविता थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नगीना

दिनांक 12.04.2024

थाना नगीना पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों को लूटी गयी नगदी, डी0वी0आर0, घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिले व अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.04.2024 को वादी श्री वतन ठाकुर पुत्र श्री विनोद कुमार निवासी ग्राम कालाखेडी थाना नगीना जनपद बिजनौर ने वादी के तारु डा0 आनन्द गहलौत पुत्र स्व0 बलवन्त सिंह के मकान से दो व्यक्तियों (बुर्का पहनी हुई एक महिला व हेलमेट पहने एक व्यक्ति) द्वारा घर में घुसकर चाकू से डरा धमकाकर उनसे करीब 25,000 रूपये, एक डी0वी0आर0 व मोबाईल फोन लूट कर ले जाने के संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 102/24 धारा 394 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया।



कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.04.2024 को थाना नगीना पुलिस व सर्विलांस टीम द्वारा घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से थाने के मु0अ0सं0 102/24 धारा 394 भादवि में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण 1.गौतम वैद्य पुत्र राजेन्द्र निवासी मौ0 वाल्मीकी बस्ती कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर 2.सचिन कुमार पुत्र टेकचन्द निवासी हरगांव चांदन थाना नगीना जनपद बिजनौर को लूटी गयी 10,350 रूपये की नगदी, डी0वी0आर0, घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिले, कपडे (कुर्ता पायजामा व बुर्का) व अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। बरामद माल व अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से की गई पूछताछ पर अभियुक्त सचिन कुमार ने बताया कि मैं करीब 09 वर्ष से डा0 आनन्द गहलौत के पास कम्पाउण्डर का काम करता हूँ तथा क्लीनिक व डा0 आनन्द के घर का पूरा काम देखता हूँ। डाक्टर साहब को कितने रुपये की कमाई होती है इसकी मुझे पूर्ण जानकारी थी। मुझे अंदाजा था कि डाक्टर साहब के पास करीब 50-60 लाख रुपये व आभूषण मिल जायेंगे, इसलिए मैंने पैसे के लालच में आकर अपने सहअभियुक्त गौतम वैद्य के साथ मिलकर डा0 आनन्द के घर में लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बनायी।

योजनानुसार दिनांक 04.04.2024 को अभियुक्त सचिन ने पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहन लिया तथा अपने सहअभियुक्त गौतम के साथ मिलकर हीरो स्पलेण्डर (यूपी 20 जेड 5722) मोटरसाईकिल से घटना कारित करने का प्रयास किया गया लेकिन डा0 आनन्द गहलौत के व्यस्त होने के कारण घटना को अंजाम नहीं दिया जा सका।

दिनांक 05.04.2024 को पुनः अभियुक्तगण द्वारा बिना नंबर प्लेट की मोटरसाईकिल से डा0 आनन्द गहलौत के घर में घुसकर चाकू के बल पर उनसे करीब 16,500/- रुपये की नगदी लूटी व अपनी पहचान छिपाने के लिए डा0 आनन्द गहलौत के घर के सीसीटीवी कैमरे का डी0वी0आर0 भी अपने साथ ले गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. गौतम वैद्य पुत्र राजेन्द्र निवासी मौ0 वाल्मीकी बस्ती कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर।
2. सचिन कुमार पुत्र टेकचन्द निवासी हरगांव चांदन थाना नगीना जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

1. दिनांक 04.04.2024 को घटना कारित करने के प्रयास में प्रयुक्त मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर रजि0नं0- यूपी 20 जेड 5722.
2. दिनांक 05.04.2024 को घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर बिना नंबर प्लेट।
3. 10,350/- रुपये नगदी, एक डी0वी0आर0, घटना में प्रयोग कपडे (कुर्ता पायजामा व बुर्का)
4. घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री जयवीर सिंह, प्रभारी सर्विलांस सेल, जनपद बिजनौर।
- 2- उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 3- हे0का0 730 विपिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 4- हे0का0 638 अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 5- का0 1580 ललित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 6- का0 1583 मोनू कुमार सर्विलांस सेल जनपद बिजनौर।